भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 217

सोमवार, 3 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक)

न्यूनतम पेंशन

217. श्री पी. आर. नटराजन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी समिति (एचईएमसी) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार न्यूनतम पेंशन को आज की तिथि के अनुसार बढ़ाकर 2000 रूपये. करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो पेंशन निधि से अनुमानित निकासी एवं ईपीएस-1995 के लिए आवश्यक बजटीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के लिए वित्त पोषण पैटर्न का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाभान्वित होने वाले पेंशनभोगियों की संख्या तथा तत्संबंधी राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार न्यूनतम पेंशन को 1000/- रूपये से 2000/- रूपये बढ़ाने का कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यदि न्यूनतम मासिक पेंशन 2000/- रूपये प्रतिमाह बढ़ाई जाती है तो बीमांकिक गणना के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान पेंशन निधि से कुल अनुमानित निकासी 5955 करोड़ रूपये होगी। न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000/- रूपये. से बढ़ाकर 2000/- रूपये करने से लगभग 39.72 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 92

सोमवार, 3 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि

92. श्रीमती पूनम महाजन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर में वृद्धि के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ईपीएफ योजना के अन्तर्गत कवर कर्मचारियों को उच्च ब्याज दर प्रदान करने में सक्षम रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने प्रोफेशनल पोर्टफोलियो प्रबंधकों को नियुक्त किया है जो निधियों का 85 प्रतिशत ऋण लिखतों में निवेश करते हैं और सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश का 15 प्रतिशत मुद्रा कारोबार कोष (ईटीएफ) में निवेश किया जाता है।

(ग) और (घ): ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) योजना, 1952 के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 8.65 प्रतिशत ब्याज दर की घोषणा की है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 19

सोमवार, 3 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक)

ईपीएफ अंशदाता

19. श्री सु.थिरुनवुक्करासर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न स्टॉक, बॉंड, ऋण-पत्रें और म्युचुअल लाभ योजनाओं में ईपीएफ अंशदाताओं की बड़ी धनराशि का निवेश किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ईपीएफ अंशदाताओं द्वारा जमा निधि का ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और ऐसी कंपनियों की सूची क्या है जहां ईपीएफ निधि का निवेश किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को ईपीएफ से कोई ऋण वित्त-पोषित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या रुख है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) निधियों का 85 प्रतिशत ऋण लिखतों में निवेश करता है और सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश का 15 प्रतिशत मुद्रा कारोबार कोष (ईटीएफ) में निवेश करता है। ईटीएफ में निवेश, निफ्टी 50, सेनसेक्स, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों (सीपीएई) और भारत 22 सूचकांकों पर आधारित होता है। ईपीएफओ वैयक्तिक कंपनियों के शेयर और इक्यूटी में निवेश नहीं करता है।

(घ): जी, नहीं।

(ड.): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ड.) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता है।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-228
सोमवार, 3 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक)

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन
योजना

228. डॉ॰ कलानिधि वीरास्वामीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की विशेषताएं क्या हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित देश भर में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और प्रयुक्त निधि का ब्यौरा क्या है;
(ग) उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान तमिलनाडु सहित देश भर में इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(घ) निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है;
(ङ) क्या तमिलनाडु सहित देश के भीतर इस योजना के अंतर्गत सरकार की जानकारी में धोखाधड़ी के मामले आए हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (च): रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत, सरकार ने ईपीएफओ में पंजीकृत नए कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) दोनों के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के 12% (अथवा समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) अंशदान का भुगतान किया था। योजना 15,000 रुपए प्रतिमाह तक अर्जित करने वाले कर्मचारियों हेतु लक्षित है। इस योजना का दोहरा लाभ है, जहां, एक ओर नियोक्ताओं को प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार आधार को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं, दूसरी ओर इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच बनेगी। पीएमआरपीवाई के तहत प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी।

भारत भर में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमआरपीवाई योजना के तहत कुल आवंटित एवं उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	ईपीएफओ को जारी राशि (रुपए करोड़ में)	ईपीएफओ द्वारा संवितरित राशि (रुपए करोड़ में)
2016-17	**167.69**	**2.58**
2017-18	**470.25**	**491.96**
2018-19	**3493.88**	**3870.88**
2019-20 जनवरी., 2020 को (27.01.2020 तक)	**3400.00**	**2996.18**

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में तमिलनाडु सहित देश भर में पीएमआरपीवाई योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या के ब्यौरे अनुबंध-I, II एवं III में संलग्न हैं। 31.03.2019 की अंतिम तिथि के उपरांत प्रतिष्ठानों के माध्यम से कोई कर्मचारी पंजीकृत नहीं किया गया।

ईपीएफओ के उडुपी कार्यालय द्वारा एक मामला रिपोर्टित किया गया था जिसमें एक प्रतिष्ठान झूठे ब्यौरे प्रदान करके ईपीएफएंडएमपी अधिनियम, 1952 के तहत पंजीकृत हुआ था। परिणामस्वरूप, संस्थान की कोड संख्या को निष्क्रिय कर दिया गया है और इस संबंध में ईपीएफओ ने नियोक्ता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी है। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान के सदस्यों को भी निष्क्रिय के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमआरपीवाई 01.04.2016 से 31.3.2017	
राज्य	**01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान पंजीकृत कर्मचारी**
आंध्र प्रदेश	1495
असम	18
बिहार	38
चंडीगढ़	164
छत्तीसगढ	450
दिल्ली	1260
गोवा	46
गुजरात	16849
हरियाणा	3463
हिमाचल प्रदेश	499
झारखंड	167
कर्नाटक	6200
केरल	2690
मध्य प्रदेश	268
महाराष्ट्र	4531
ओडिशा	123
पंजाब	1747
राजस्थान	554
तमिलनाडु	**6503**
उत्तर प्रदेश	2240
उत्तराखंड	1526
पश्चिम बंगाल	2303
कुल	**53134**

अनुबंध- II

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमआरपीवाई 01.04.2017 से 31.3.2018	
राज्य	**01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान पंजीकृत कर्मचारी**
आंध्र प्रदेश	379237
असम	3429
बिहार	49452
चंडीगढ़	38967
छत्तीसगढ	36793
दिल्ली	235822
गोवा	2910
गुजरात	376185
हरियाणा	328264
हिमाचल प्रदेश	49120
झारखंड	15824
कर्नाटक	398873
केरल	74796
मध्य प्रदेश	123076
महाराष्ट्र	796035
ओडिशा	52926
पंजाब	75735
राजस्थान	153614
तमिलनाडु	**432641**
उत्तर प्रदेश	304306
उत्तराखंड	104416
पश्चिम बंगाल	118143
कुल	**4150564**

अनुबंध- III

लोक सभा के दिनांक 03.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमआरपीवाई 01.04.2018 से 31.3.2019	
राज्य	**01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान पंजीकृत कर्मचारी**
आंध्र प्रदेश	716601
असम	8915
बिहार	87610
चंडीगढ़	176595
छत्तीसगढ	115325
दिल्ली	655792
गोवा	26598
गुजरात	853802
हरियाणा	776635
हिमाचल प्रदेश	102653
झारखंड	68646
कर्नाटक	962553
केरल	147243
मध्य प्रदेश	265181
महाराष्ट्र	1686311
ओडिशा	109592
पंजाब	140144
राजस्थान	365141
तमिलनाडु	**1173616**
उत्तर प्रदेश	629804
उत्तराखंड	231316
पश्चिम बंगाल	287278
कुल	**9587351**

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 115

सोमवार, 03 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक)

समाधान के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन

115. श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री जयंत कुमार राय:
श्री राजा अमरेश्वर राय:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री भोला सिंह:
डा. सुकांत मजूमदार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने देश के कुछ राज्यों में प्रायोगिक आधार पर औद्योगिक विवादों की निगरानी और समाधान तथा संभलाई (समाधान) के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आरम्भ किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में उद्योगों में सेवा मुक्ति, बर्खास्तगी, छंटनी या किसी भी रूप में मजदूरों की सेवा की समाप्ति संबंधी शिकायतों/विवाद में वृद्धि दर्ज की गई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा श्रमिकों के जीवन में सुधार करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं; और
(च) समाधान द्वारा गत 3 वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय को कितने मामले अग्रेषित किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी हां, समाधान औद्योगिक विवादों को फाइल करने और उन पर कार्रवाई करने का पोर्टल है, जिसके लिए भारत सरकार समुचित सरकार है और इसे

06.02.2019 से प्रायोगिक आधार पर 6 राज्यों(यथा दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश) में चलाया जा रहा है।

(ग) और (घ): फरवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक समाधान पोर्टल में पंजीकृत विवादों की संख्या नीचे दी गई है:-

माह	पोर्टल में प्राप्त मामलों की संख्या
फरवरी, 2019	0
मार्च, 2019	3
अप्रैल, 2019	5
मई, 2019	30
जून, 2019	54
जुलाई, 2019	132
अगस्त, 2019	346
सितम्बर, 2019	441
अक्तूबर, 2019	66
नवम्बर, 2019	81
दिसम्बर, 2019	303

(ङ): मंत्रालय ने वेतन संहिता अधिनियम, 2019 लागू किया है और इसे 08.08.2019 को अधिसूचित किया है, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं विधेयक, 2019 को लोक सभा में 23.07.2019 को पेश किया गया है। मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 15.02.2019 को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना भी शुरू की है। ईएसआई अंशदान की दर को वेतन के 6.5 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत करने जैसा उपाय भी 13.06.2019 को अधिसूचित किया जा चुका है।

(च): जब से समाधान पोर्टल आरम्भ हुआ है इसके माध्यम से कोई भी औद्योगिक विवाद सीजीआईटी को अग्रेषित नहीं किया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1189

सोमवार, 10 फरवरी, 2020 / 21 माघ 1941 (शक)

ठेका श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा

1189. श्री जी. एम. सिद्देश्वर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में ठेका श्रमिकों/मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उनकी असुरक्षा की भावना को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या मंत्रालय के पास देश में ठेका श्रमिकों/मजदूरों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में ठेका कामगारों/ श्रमिकों सहित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न अधिनियमों का क्रियान्वयन कर रही है। संगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उनकी पात्रता के अनुसार मुख्यतः कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार जीवन और अशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों के लिए कल्याण योजनाएं उपलब्ध कराने हेतु असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का क्रियान्वयन कर रही है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कामगारों को जीवन और अशक्तता कवर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की समेकित योजना, स्वास्थ्य और प्रसूति कवर के लिए पीएम-जेएवाई (आयुष्मान भारत), 15000/- रूपये या उससे कम की मासिक आय वाले और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस के सदस्य नहीं हैं, ऐसे कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। हाल ही में आरंभ की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना एक अंशदायी योजना है जिसमे लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान का 50% देय होता है और समान समरूप अशदान का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर केन्द्रीय क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान नियोजित ठेका कामगारों/ श्रमिकों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र के तहत विभिन्न स्थापनों में कार्यरत ठेका श्रमिकों की कुल संख्या
2017	1110603
2018	1178878
2019	1364377

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *102

सोमवार, 10 फरवरी, 2020/21 माघ, 1941 (शक)

शिकायतों का समाधान करने हेतु पोर्टल

***102. डॉ. रामशंकर कठेरिया:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2016-2019 के दौरान कामगारों द्वारा सरकार के समक्ष दर्ज की गई शिकायतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उपरोक्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों का समाधान किया गया;

(ग) सरकार द्वारा शेष शिकायतों का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का इन शिकायतों का समाधान करने हेतु कोई पोर्टल आरंभ करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त पोर्टल के कब तक कार्यरत होने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

"शिकायतों का समाधान करने हेतु पोर्टल" के संबंध में डॉ. रामशंकर कठेरिया द्वारा दिनांक 10.02.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 102 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): वर्ष 2016-2019 के दौरान ऑनलाइन पोर्टल नामत: केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित पंजीकृत शिकायतों/परिवादों तथा उनके निपटान की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	अग्रानीत	प्राप्त	कुल प्राप्त	निपटान	निपटान का प्रतिशत	अंत शेष
2016	1002	24506	25508	24436	95.79%	1072
2017	1072	32808	33880	32455	95.79%	1425
2018	1425	34926	36351	35176	96.76%	1175
2019	1175	46392	47567	46283	97.30%	1284
कुल		**138632**	**143306**	**138350**	**96.54%**	

इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, ईपीएफ-आई शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ईपीएफ आईजीएमएस) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का आंतरिक पोर्टल है। यह पोर्टल ईपीएफओ के मास्टर डाटाबेस से जुड़ा हुआ है और यह अनुक्रियात्मक इंटरफेस वाला है और मोबाइल से भी इस तक पहुंचा जा सकता है। शिकायत सीधे ही उस कार्यालय को दे दी जाती है जिसका इससे संबंध है और शिकायत को तीन स्तरों पर बांटा जाता है, ताकि शिकायत को शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार समाप्त किया जा सके तथा शिकायत के शीघ्र एवं गुणवत्तापरक निपटान पर जोर दिया जाता है। यह द्विभाषी, अनुक्रियात्मक और प्रयोक्ता के लिए सुविधाजनक भी है। वर्ष 2016-2019 के दौरान पंजीकृत शिकायतों और उनके निपटान की संख्या नीचे दी गई है:-

<u>ईपीएफआईजीएमएस के संबंध में वर्ष 2016-2019 के दौरान पंजीकृत शिकायतों की संख्या</u>

वर्ष	अग्रानीत	प्राप्त	कुल प्राप्त	निपटान	निपटान का प्रतिशत	अंत शेष
2016	2602	233403	236005	233678	99.01	2327
2017	2327	355290	357617	346649	96.93	10968
2018	10968	578774	589742	580930	98.51	8812
2019	8812	893391	902203	838579	92.95	63624
कुल		**2060858**	**2085567**	**1999836**	**95.89**	

(ग): यह मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), मुख्य श्रमायुक्त (कें.) (सीएलसी) आदि सहित लोक शिकायतों के निपटान के

संबंध में नीतियों और कार्यविधियों की उत्तरोत्तर समीक्षा कर रहा है और सुप्रवाही बना रहा है। इसके अलावा विभिन्न व्यवस्थित सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहलें की गई हैं, जिनका उद्देश्य शिकायतों का शीघ्र समाधान करना है।

(घ) और (ङ): 'संतुष्ट'- कार्यान्वयन निगरानी प्रकोष्ठ (आईएमसी) की स्थापना माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के कार्यालय में जनवरी, 2020 में की गई है। 'संतुष्ट' का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रभावी रूप से लोक सेवाएं प्रदान करने को बढ़ावा देना तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की नीतियों और योजनाओं को निरंतर निगरानी के माध्यम से समाज के निचले स्तर तक कार्यान्वित करना है। ई-मेल से प्राप्त निजी शिकायतों पर संतुष्ट द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसके पश्चात, शिकायतें अलग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती हैं।

*****

अनुबंध-I

"शिकायतों का समाधान करने हेतु पोर्टल" के संबंध में डॉ. रामशंकर कठेरिया द्वारा दिनांक 10.02.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 102 के भा ग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

2016-2019 के दौरान सीपीजीआरएएमएस में पंजीकृत शिकायतें/ परिवाद और उनका निपटान

2016

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अग्रानीत	प्राप्त	निपटान	अंत शेष
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	14	15	0
आंध्र प्रदेश	30	359	379	10
अरुणाचल प्रदेश	0	3	3	0
असम	12	326	318	20
बिहार	25	604	599	30
चंडीगढ़	6	125	123	8
छत्तीसगढ़	17	296	296	17
दादरा और नागर हवेली	2	13	15	0
दमन और दीव	0	13	12	1
दिल्ली	87	2414	2388	113
गोवा	1	33	31	3
गुजरात	39	917	903	53
हरियाणा	31	1040	1018	53
हिमाचल प्रदेश	8	184	179	13
जम्मू और कश्मीर	5	97	96	6
झारखंड	38	490	501	27
कर्नाटक	61	2069	2049	81
केरल	23	472	474	21
लद्दाख	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	40	817	819	38
महाराष्ट्र	211	5418	5482	147
मणिपुर	0	20	20	0
मेघालय	0	12	12	0
मिजोरम	0	1	1	0
नागालैंड	0	5	5	0
ओडिशा	30	687	672	45
पुडुचेरी	1	56	55	2
पंजाब	23	496	494	25
राजस्थान	26	840	827	39
सिक्किम	0	6	6	0
तमिलनाडु	53	1081	1080	54
तेलंगाना	19	556	547	28
त्रिपुरा	1	32	31	2
उत्तर प्रदेश	127	3055	3046	136
उत्तराखंड	31	302	320	13
पश्चिम बंगाल	54	1653	1620	87
कुल	**1002**	**24506**	**24436**	**1072**

2017				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अग्रानीत**	**प्राप्त**	**निपटान**	**अंत शेष**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	10	10	0
आंध्र प्रदेश	10	569	554	25
अरुणाचल प्रदेश	0	3	3	0
असम	20	363	372	11
बिहार	30	1084	1050	64
चंडीगढ़	8	237	237	8
छत्तीसगढ़	17	380	370	27
दादरा और नागर हवेली	0	21	20	1
दमन और दीव	1	19	18	2
दिल्ली	113	3491	3440	164
गोवा	3	60	62	1
गुजरात	53	1590	1571	72
हरियाणा	53	1466	1449	70
हिमाचल प्रदेश	13	299	298	14
जम्मू और कश्मीर	6	148	146	8
झारखंड	27	716	698	45
कर्नाटक	81	2620	2641	60
केरल	21	774	762	33
लद्दाख	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	38	1666	1625	79
महाराष्ट्र	147	4303	4282	168
मणिपुर	0	12	9	3
मेघालय	0	10	9	1
मिजोरम	0	5	5	0
नागालैंड	0	6	6	0
ओडिशा	45	915	929	31
पुडुचेरी	2	39	39	2
पंजाब	25	889	880	34
राजस्थान	39	1342	1305	76
सिक्किम	0	3	2	1
तमिलनाडु	54	1389	1390	53
तेलंगाना	28	852	850	30
त्रिपुरा	2	36	37	1
उत्तर प्रदेश	136	4211	4132	215
उत्तराखंड	13	477	471	19
पश्चिम बंगाल	87	2803	2783	107
कुल	**1072**	**32808**	**32455**	**1425**

2018				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अग्रानीत**	**प्राप्त**	**निपटान**	**अंत शेष**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	9	9	0
आंध्र प्रदेश	25	599	605	19
अरुणाचल प्रदेश	0	4	4	0
असम	11	319	320	10
बिहार	64	1449	1452	61
चंडीगढ़	8	360	363	5
छत्तीसगढ़	27	488	492	23
दादरा और नागर हवेली	1	17	18	0
दमन और दीव	2	8	10	0
दिल्ली	164	3604	3636	132
गोवा	1	74	70	5
गुजरात	72	1604	1636	40
हरियाणा	70	1716	1727	59
हिमाचल प्रदेश	14	234	243	5
जम्मू और कश्मीर	8	114	117	5
झारखंड	45	752	771	26
कर्नाटक	60	2376	2372	64
केरल	33	535	539	29
लद्दाख	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	79	2205	2207	77
महाराष्ट्र	168	4608	4619	157
मणिपुर	3	14	17	0
मेघालय	1	20	21	0
मिजोरम	0	4	4	0
नागालैंड	0	3	2	1
ओडिशा	31	711	717	25
पुडुचेरी	2	48	46	4
पंजाब	34	986	988	32
राजस्थान	76	1380	1420	36
सिक्किम	1	15	16	0
तमिलनाडु	53	1645	1629	69
तेलंगाना	30	782	786	26
त्रिपुरा	1	38	37	2
उत्तर प्रदेश	215	4851	4911	155
उत्तराखंड	19	607	611	15
पश्चिम बंगाल	107	2747	2761	93
कुल	**1425**	**34926**	**35176**	**1175**

2019

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अग्रानीत	प्राप्त	निपटान	अंत शेष
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	10	9	1
आंध्र प्रदेश	19	856	841	34
अरुणाचल प्रदेश	0	7	7	0
असम	10	399	404	5
बिहार	61	1789	1799	51
चंडीगढ़	5	688	691	2
छत्तीसगढ़	23	665	665	23
दादरा और नागर हवेली	0	25	25	0
दमन और दीव	0	16	16	0
दिल्ली	132	4358	4368	122
गोवा	5	88	88	5
गुजरात	40	2468	2443	65
हरियाणा	59	2383	2385	57
हिमाचल प्रदेश	5	349	343	11
जम्मू और कश्मीर	5	176	172	9
झारखंड	26	865	873	18
कर्नाटक	64	3080	3043	101
केरल	29	747	752	24
लद्दाख	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	77	2394	2399	72
महाराष्ट्र	157	6327	6291	193
मणिपुर	0	60	59	1
मेघालय	0	25	25	0
मिजोरम	0	7	7	0
नागालैंड	1	5	6	0
ओडिशा	25	1265	1271	19
पुडुचेरी	4	53	57	0
पंजाब	32	1130	1133	29
राजस्थान	36	1406	1402	40
सिक्किम	0	14	14	0
तमिलनाडु	69	2616	2593	92
तेलंगाना	26	982	978	30
त्रिपुरा	2	37	39	0
उत्तर प्रदेश	155	6371	6389	137
उत्तराखंड	15	755	744	26
पश्चिम बंगाल	93	3976	3952	117
कुल	**1175**	**46392**	**46283**	**1284**

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1787

सोमवार, 2 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक)

श्रमिक संगठन

1787. श्री खगेन मुर्मु:
श्री अजय मिश्र टेनी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के श्रमिक संगठनों ने 1995 से अब तक भविष्य निधि द्वारा श्रमिकों को दी जा रही 100 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढाने और सभी पेंशनभोगियों को ईएसआई कवरेज प्रदान करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): जी हां। विभिन्न पणधारको से, जिनमें ट्रेड यूनियन, पेंशनर्स एसोसिएशन आदि शामिल हैं, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत मौजूदा 1000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने और ईपीएस, 1995 के पेंशन धारकों और उनकी पत्नी/पति को चिकित्सा लाभ/ईएसआई कवरेज प्रदान करने की मांगें प्राप्त हुई हैं।

सरकार ने व्यापक मांग को देखते हुए बजटीय सहायता द्वारा 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत 1000/-रूपये प्रतिमाह की न्यूनतम मासिक पेंशन का निर्धारण किया था।

इसके अतिरिक्त, ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशन धारकों को ईएसआई कवरेज प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1714

सोमवार, 2 मार्च, 2020 / 12 फाल्गुन, 1941 (शक)

पेशेवरों का पीएफ में योगदान

1714. श्री भगवंत खुबा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार कुछ पेशेवरों के लिए भविष्य-निधि (पीएफ) के अंशदान प्रतिशत को कम करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार पीएफ में कम अंशदान करने वालों की सूची में कामकाजी महिलाओं और दिव्यांग पेशेवरों को भी शामिल करने की योजना बना रही है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धरित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): जी, नहीं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1830

सोमवार, 2 मार्च, 2020 / 12 फाल्गुन, 1941 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

1830. श्री हरीश द्विवेदी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस निधि में नियमित रूप से अंशदान कर रहे ऐसे कर्मचारियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान परिदृश्य के आलोक में ऐसी निधि हेतु ब्याज दर में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2235

दिनांक 4 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

काजू प्रसंस्करण क्षेत्र

2235. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केरल में काजू प्रसंस्करण क्षेत्र में वित्तीय संकट होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार काजू उद्योग में प्रमुख तथा उक्त महिला कर्मचारियों की मदद करने के लिए व्यापक राहत पैकेज प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उन काजू फैक्ट्रियों को मॉनीटर किया है जिन्होंने कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अपना हिस्सा नहीं दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : सरकार के संज्ञान में आया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काजू गिरी की आपूर्ति की स्थिति के कारण काजू उद्योग के कुछ भागों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) और (घ): सरकार ने काजू उद्योग को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए कई उपाय किए हैं :

(i) दिनांक 12 जून, 2019 की अधिसूचना के तहत काजू की गिरी, साबुत और टूटी हुई दोनों के लिए, आयात नीति को 'मुक्त' से बदलकर 'निषिद्ध' कर दिया गया है और आयात की अनुमति तभी दी जाती है जब टूटी काजू गिरी का सीआईएफ मूल्य 680/- रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक और साबुत काजू गिरी का सीआईएफ मूल्य 720/-रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक होता है।

(ii) दिनांक 01.02.2018 से कच्ची काजू गिरी के आयात पर आधारभूत सीमा-शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(iii) काजू गिरी के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(iv) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की मध्यावधि समीक्षा के तहत, काजू के लिए भारतीय पण्यवस्तु निर्यात स्कीम को काजू गिरी के लिए (3 प्रतिशत से) बढ़ाकर 5 प्रतिशत और नमकीन/भुने हुए काजू के लिए (5 प्रतिशत से) बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया था।

(v) अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत, आयातित कच्ची काजू गिरी से काजू गिरी के निर्यात के लिए स्टेंडर्ड इनपुट आउटपुट नार्म्स (एसआईओएन) को 4 किलोग्राम कच्ची काजू गिरी से 1 किलोग्राम के पिछले मानदंड के स्थान पर 5.04 किलोग्राम कच्ची काजू गिरी से 1 किलोग्राम काजू गिरी के लिए संशोधित कर दिया गया है।

(vi) काजू प्रोसेसिंग यूनिट के प्रोसेस मेकेनाइजेशन और ऑटोमेशन के लिए 60.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से मध्यावधि फ्रेमवर्क (2017-20) स्कीम स्वीकृत की गई।

(vii) अल्प विकसित देशों (एलडीसी) से कच्ची काजू गिरी के शुल्क मुक्त टैरिफ प्रीफ्रेंस (डीएफटीपी) स्कीम के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात को अनुमति दी गई है।

(viii) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) को क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन और बाजार पहुंच पहल स्कीम के अंतर्गत नए बाजारों और ब्रांडिंग को टैप करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ड.) और (च) : ईएसआई अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों के अनुपालन की स्थिति को ईएसआई निगम द्वारा मॉनिटर किया जाता है तथा ईएसआई अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत, काजू कारखानों सहित, दोषी कारखानों / प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार केरल में 131 गैर-अनुपालन काजू कारखानें हैं तथा अधिकतर मामलों में दोषी के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, "डिफाल्ट मैनेजमेंट" व्यवस्था के माध्यम से मासिक आधार पर दोषी प्रतिष्ठानों की निगरानी करता है। अधिनियम में दोषी प्रतिष्ठानों के बकायों के आकलन का प्रावधान है। 75 दोषी काजू प्रतिष्ठानों के संबंध में जॉच पूरी की जा चुकी है तथा केरल में रू.206.82 लाख की धनराशि का आकलन किया गया है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3569

सोमवार, 16 मार्च, 2020 / 26 फाल्गुन, 1941 (शक)

भविष्य निधि

3569. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है जो अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि प्रदान नहीं करती है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सहित देश भर के सभी राज्यों में ऐसी कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत चूककर्ता कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की गई है जहां भविष्य निधि कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं की गई है।

(ख): पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2016-17, 2017-18, 2018-19 के दौरान अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत आरंभ की गई जांच और निपटाए गए मामलों के राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: अनुबंध 1, 2 और 3 पर दिए गए हैं।

*** ******

अनुबंध ।

'भविष्य निधि' के संबंध में श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो द्वारा दिनांक 16.03.2020 पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3569 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

वर्ष 2016-17 दौरान अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत आरंभ किए गए आकलन मामले और उनका निपटान						
राज्य	**01.04.2016 की स्थिति के अनुसार निपटान हेतु मामले**	**वर्ष के दौरान शुरू किए गए मामले**	**कुल कार्यभार**	**अंतिम आदेश जारी कर निपटाए गए मामले**	**निपटान का %**	**31.03.2017 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले**
आंध्र प्रदेश	594	401	995	540	54.27	455
असम	424	81	505	234	46.34	271
बिहार	848	74	922	45	4.88	877
चंडीगढ़	918	1192	2110	1013	48.01	1097
छत्तीसगढ़	366	295	661	218	32.98	443
दिल्ली	685	370	1055	216	20.47	839
गुजरात	1603	610	2213	522	23.59	1691
हरियाणा	625	507	1132	516	45.58	616
हिमाचल प्रदेश	290	143	433	180	41.57	253
झारखंड	409	329	738	262	35.50	476
कर्नाटक	1035	1920	2955	1320	44.67	1635
केरल	578	1034	1612	1005	62.34	607
मध्य प्रदेश	573	542	1115	469	42.06	646
महाराष्ट्र	3054	3061	6115	1832	29.96	4283
ओडिशा	354	238	592	306	51.69	286
पंजाब	749	1868	2617	1283	49.03	1334
राजस्थान	494	545	1039	329	31.67	710
तमिलनाडु	1829	2016	3845	2024	52.64	1821
तेलंगाना	2127	1035	3162	1054	33.33	2108
उत्तर प्रदेश	2275	1041	3316	1139	34.35	2177
पश्चिम बंगाल	793	558	1351	692	51.22	659
कुल योग	**20623**	**17860**	**38483**	**15199**	**39.50**	**23284**

अनुबंध II

'भविष्य निधि' के संबंध में श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो द्वारा दिनांक 16.03.2020 पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3569 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध II

वर्ष 2017-18 दौरान अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत आरंभ किए गए आकलन मामले और उनका निपटान

राज्य	01.04.2017 की स्थिति के अनुसार निपटान हेतु मामले	वर्ष के दौरान शुरू किए गए मामले	कुल कार्यभार	अंतिम आदेश जारी कर निपटाए गए मामले	निपटान का %	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले
आंध्र प्रदेश	455	129	584	368	63.01	216
असम	229	20	249	131	52.61	118
बिहार	780	84	864	82	9.49	782
चंडीगढ़	630	229	859	271	31.55	588
छत्तीसगढ़	443	1389	1832	951	51.91	881
दिल्ली	1124	123	1247	313	25.10	934
गोवा	123	44	167	65	38.92	102
गुजरात	1677	525	2202	774	35.15	1428
हरियाणा	617	167	784	387	49.36	397
हिमाचल प्रदेश	253	77	330	238	72.12	92
झारखंड	476	174	650	243	37.38	407
कर्नाटक	1377	1466	2843	1432	50.37	1411
केरल	420	509	929	590	63.51	339
मध्य प्रदेश	646	388	1034	383	37.04	651
महाराष्ट्र	4631	641	5272	1615	30.63	3657
मेघालय	16	8	24	8	33.33	16
ओडिशा	286	60	346	158	45.66	188
पांडिचेरी	57	90	147	65	44.22	82
पंजाब	1801	871	2672	1485	55.58	1187
राजस्थान	710	202	912	300	32.89	612
तमिलनाडु	1763	1213	2976	1411	47.41	1565
तेलंगाना	1996	198	2194	547	24.93	1647
त्रिपुरा	26	21	47	31	65.96	16
उत्तर प्रदेश	1923	615	2538	791	31.17	1747
उत्तराखंड	215	24	239	34	14.23	205
पश्चिम बंगाल	681	345	1026	427	41.62	599
कुल योग	**23355**	**9612**	**32967**	**13100**	**39.74**	**19867**

अनुबंध III

'भविष्य निधि' के संबंध में श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो द्वारा दिनांक 16.03.2020 पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3569 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध III

वर्ष 2018-19 दौरान अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत आरंभ किए गए आकलन मामले और उनका निपटान

राज्य	01.04.2018 की स्थिति के अनुसार निपटान हेतु मामले	वर्ष के दौरान शुरू किए गए मामले	कुल कार्यभार	अंतिम आदेश जारी कर निपटाए गए मामले	निपटान का %	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	27	25	52	8	15.38	44
आंध्र प्रदेश	216	156	372	210	56.45	162
असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड	118	16	134	76	56.72	58
बिहार	783	93	876	164	18.72	712
छत्तीसगढ़	881	192	1073	620	57.78	453
दिल्ली	653	491	1144	501	43.79	643
गोवा	102	10	112	42	37.50	70
गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1427	658	2085	768	36.83	1317
हरियाणा	396	330	726	240	33.06	486
हिमाचल प्रदेश	92	95	187	103	55.08	84
झारखंड	406	295	701	308	43.94	393
कर्नाटक	1407	1156	2563	1575	61.45	988
केरल और लक्षद्वीप	339	786	1125	847	75.29	278
मध्य प्रदेश	651	703	1354	540	39.88	814
महाराष्ट्र	3297	848	4145	1241	29.94	2904
मेघालय और मिजोरम	16	28	44	22	50.00	22
ओडिशा	188	94	282	154	54.61	128
पुडुचेरी	82	70	152	69	45.39	83
पंजाब और चंडीगढ़	1776	1064	2840	1497	52.71	1343
राजस्थान	612	194	806	317	39.33	489
तमिलनाडु	1565	4018	5583	2379	42.61	3204
तेलंगाना	1646	803	2449	1051	42.92	1398
त्रिपुरा	16	4	20	12	60.00	8
उत्तर प्रदेश	1974	949	2923	1026	35.10	1897
उत्तराखंड	157	42	199	57	28.64	142
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	537	558	1095	478	43.65	617
कुल योग	**19364**	**13678**	**33042**	**14305**	**43.29**	**18737**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3518

सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक)

कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020

3518. डॉ. डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ सुभाष रामराव भामरे:
डॉ अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 को संशोधित और पुर:स्थापित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में ईपीएस के तहत नामांकित कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ईपीएस के तहत वितरित राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को ईपीएस, 1995 में उपयुक्त संशोधनों के लिए इसके दोषों के संबंध में विभिन्न श्रमिक समूहों से कोई अभ्यावेदन/शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो उक्त समस्या के संबंध में की गई सुधरात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने तथा पेंशन के संराशीकृत मूल्य की बहाली के संबंध में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 में संशोधनों के मुद्दे के साथ-साथ मांगे उठाने वाले कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के व्यक्तिगत पेंशनधारियों के साथ-साथ विभिन्न पेंशनधारी संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

जारी--/2-

सरकार ने, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पेंशनधारियों की मांगों पर विचार करते हुए, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा हेतु उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति गठित की थी। समिति की सिफारिश के आधार पर, सरकार ने दिनांक 20.02.2020 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 132 (अ.) के माध्यम से 25 सितम्बर, 2008 को या इससे पहले इस योजना के पूर्वगत पैराग्राफ 12क के अंतर्गत पेंशन के संराशीकरण का लाभ उठाने वाले सदस्यों के संबंध में ऐसे संराशीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूरे होने के बाद सामान्य पेंशन बहाल करने का निर्णय अधिसूचित किया है।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत नामांकित कर्मचारियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार वर्तमान ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है।

चालू वर्ष सहित पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत वितरित राशि का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है।

** ******

अनुबंध I

कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 के संबंध में डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस. श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ सुभाष रामराव भामरे, डॉ अमोल रामसिंह कोल्ह, श्रीमती सुप्रिया सुले और श्री श्रीनिवास पाटील द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2020 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3518 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईपीएस, 1995 के अंतर्गत नामांकित कर्मचारियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा		
क्र.सं.	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र**	**ईपीएस, 1995 के सदस्यों की संख्या**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	46099
2	आंध्र प्रदेश	4894239
3	अरुणाचल प्रदेश	34262
4	असम	1002369
5	बिहार	1810148
6	चंडीगढ़	2773032
7	छत्तीसगढ	2120580
8	दिल्ली	19340659
9	गोवा	1555143
10	गुजरात	18925544
11	हरियाणा	18840638
12	हिमाचल प्रदेश	1779268
13	झारखंड	2438508
14	कर्नाटक	28574372
15	केरल	3608629
16	मध्य प्रदेश	5579539
17	महाराष्ट्र	48542645
18	मणिपुर	40695
19	मेघालय	120929
20	मिजोरम	10007
21	नागालैंड	24928
22	ओडिशा	3533218
23	पंजाब	4314283
24	राजस्थान	6251397
25	तमिलनाडु	28826389
26	तेलंगाना	13444683
27	त्रिपुरा	106403
28	उत्तर प्रदेश	11330944
29	उत्तराखंड	3746454
30	पश्चिम बंगाल	10469959

अनुबंध II

कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 के संबंध में डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस., श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ सुभाष रामराव भामरे, डॉ अमोल रामसिंह कोल्ह, श्रीमती सुप्रिया सुले और श्री श्रीनिवास पाटील द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2020 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3518 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईपीएस, 1995 के अंतर्गत वितरित धनराशि (रूपयों में) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा				
क्र.सं.	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	61497107	62773604	70272071
2	आंध्र प्रदेश	1820048399	1837166781	1765949928
3	अरुणाचल प्रदेश	10866361	14758448	14173636
4	असम	773713407	932873353	880834211
5	बिहार	1653339800	1857398598	1673833899
6	चंडीगढ़	1614396700	2221443125	1841556167
7	छत्तीसगढ	1902541161	2030108245	2028321738
8	दिल्ली	4444734231	5376402712	5065776244
9	गोवा	752720855	778092415	671802182
10	गुजरात	3799861328	3866846976	3711775330
11	हरियाणा	2946290168	2980933921	2643033792
12	हिमाचल प्रदेश	1213953849	1263977324	1177646186
13	झारखंड	1745556434	1820142321	1759222457
14	कर्नाटक	4351034413	3917371170	3446372700
15	केरल	2934012504	3308418201	3250966339
16	मध्य प्रदेश	1552510160	1745126898	1536409360
17	महाराष्ट्र	7314959982	6119175248	4860107122
18	मणिपुर	28115037	40466950	36423753
19	मेघालय	88095948	102186527	90112183
20	मिजोरम	6627577	7585301	7449618
21	नागालैंड	22956418	28794944	29193288
22	ओडिशा	1996070775	2198978751	2296623899
23	पंजाब	1135648802	1214518583	1234162850
24	राजस्थान	1951157372	2406231827	2087827011
25	तमिलनाडु	4810558218	4597522638	3885314268
26	तेलंगाना	4327407810	4416820213	3745388028
27	त्रिपुरा	151352846	164311264	179142181
28	उत्तर प्रदेश	1697131570	1878477447	1785924637
29	उत्तराखंड	1287535813	1197591602	1179233249
30	पश्चिम बंगाल	2902303074	2906927989	3074741443

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4601

सोमवार, 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942 (शक)

पीएसयू के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन

4601. श्री संतोष पान्डेय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईपीएस-95 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की गणना का सूत्र क्या है और सेवानिवृत्ति की तिथि पर मूल वेतनमान क्या है;

(ख) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की गणना/निर्धारण करते समय मूल वेतन और महंगाई भत्ते को शामिल करने के लिए कोई आदेश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त आदेश के संदर्भ में क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत शामिल सदस्यों की मासिक पेंशन की गणना स्कीम के पैराग्राफ 12(2) से 12(7) और 12 (7क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है। ईपीएस, 1995 के पैराग्राफ 12 के उप-पैरा (2) के अनुसार मासिक पेंशन राशि की गणना निम्न रूप में की जाती है:-

सदस्य की मासिक पेंशन =पेंशनयोग्य वेतन x पेंशनयोग्य सेवा

'पेशनयोग्य वेतन' और 'पेशन योग्य सेवा' को ईपीएस,1995 के पैराग्राफ क्रमश:11 और पैराग्राफ 10 में परिभाषित किया गया है।

ईपीएस, 1995 के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की गणना करने के लिए अलग से सूत्र नहीं है।

(ख) और (ग): माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की गणना/ नियत करते समय मूल वेतन और महंगाई भत्ते को शामिल किया जाए1

****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4699

सोमवार, 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि

4699. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि की क्या विशेषताएं हैं;

(ख) देश में वर्तमान में उक्त निधि के अंशदाताओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ईपीएस पेंशनधारकों को अधिक पेंशनदाय की अधिसूचना दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त कार्य हेतु अनुमानित निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसका कार्यान्वयन कब तक होने की संभावना है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत तैयार की गई तीन योजनाओं में से एक है। ईपीएफ योजना, 1952 इस अधिनियम के तहत शामिल किए गए प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अनिवार्य संरक्षण हेतु प्रावधान करता है। इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभों में सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या मृत्यु पर ब्याज सहित भविष्य निधि संचय शामिल हैं। आवास निर्माण, उच्चत्तर शिक्षा, विवाह, रुग्णता आदि जैसे कार्य स्थितियों के लिए भी आंशिक पीएफ निकासी की अनुमति है।

(ख): फरवरी, 2020 के स्थिति के अनुसार, ईपीएफ योजना, 1952 के तहत अंशदाताओं अर्थात अंशदायी सदस्यों की कुल संख्या 4.95 करोड़ है।

(ग) से (ङ): सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4816

सोमवार, 23 मार्च, 2020 / 3 चैत्र, 1942 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि के मामलों का निस्तारण

4816. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के कुल कितने मामलों का निस्तारण किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निस्तारण के लिए लंबित ईपीएफ के मामलों की, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या दावों को प्रक्रिया में लाने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निस्तारण दर कितनी है;

(घ) क्या सरकार का दावों के निस्तारण अवधि कम करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा लंबित दावों के शीघ्र निस्तारण के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निस्तारित किए गए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	**निस्तारित गए कुल मामलों की संख्या**
2016-17	70,10,928
2017-18	85,72,133
2018-19	1,15,21,930
2019-20 (29.02.2020 तक)	1,50,88,002

(ख) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 72(7) के अनुसार आवश्यक कागजात के साथ प्रस्तुत किए गए सभी प्रकार से पूर्ण दावों का निस्तारण किया जाएगा और आयुक्त द्वारा इसके प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर लाभार्थियों को लाभ की राशि का भुगतान किया जाएगा। चूंकि दावों का प्राप्त होना एक निरंतर प्रक्रिया है इसलिए निस्तारण के लिए मामलों का किसी भी समय पूरी तरह से लंबित न होना संभव नहीं है। वर्तमान में संगठन किसी दावों के प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर लगभग दो-तिहाई ईपीएफ दावों का निस्तारण करने में सफल रहा है। और शेष दावों का निस्तारण अधिदेश के अनुसार किया जाता है।

(घ) और (ङ): सेवा प्रदायगी में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। ईपीएफओ ने दावों के शीघ्र निस्तारण के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों में दावे का फॉर्म ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जमा करने का विकल्प प्रदान करना, कुछ मेनुअल प्रक्रियाओं को समाप्त कर निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बनाना, दावों के अनुमोदन की स्तरों की संख्या को तीन स्तरों से घटा कर दो स्तर करना और अभिदाताओं को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से भुगतान करना शामिल है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4619

सोमवार, 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942 (शक)

औद्योगिक कामगार

4619. श्री राजू बिष्ट:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक चाय बागान, सिनकोना बागान और अन्य पौधारोपण कामगारों को औद्योगिक कामगारों के रूप में शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(ख) ईएसआई अस्पतालों सहित औद्योगिक कामगारों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं से पौधारोपण कामगारों को वंचित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे बागान मालिकों जिन्होंने कामगारों के भविष्य निधि अंशदान का अपना हिस्सा जमा नहीं कराया है, से कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): बागान कामगार, बागान श्रम अधिनियम, 1951 नामक एक पृथक अधिनियम द्वारा व्याप्त हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चाय कामगार, सिनकोना कामगार आदि सहित बागान कामगारों का कल्याण शामिल है।

इसके अतिरिक्त, चाय उद्योग के कामगार विभिन्न औद्योगिक और सामाजिक सुरक्षा विधानों द्वारा व्याप्त हैं जैसे कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, वेतन संदाय अधिनियम, 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कारखाना अधिनियम तथा औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 ।

(ख): बागान कामगार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ईएसआई) के अंतर्गत व्याप्त नहीं हैं। तथापि, चाय बोर्ड द्वारा लघु चाय उत्पादकों के कामगारों के लाभार्थ समूह व्यक्तिगत दुर्घटना

बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है। अन्य राज्यों में संगठित क्षेत्र के चाय कामगार, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त हैं।

बागान श्रम अधिनियम में नियोजकों से अपेक्षा है कि वे कामगारों को आवास, चिकित्सा सुविधाएं, बीमारी एवं प्रसूति लाभ तथा अन्य प्रकार के सामाजिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराएं। चाय एस्टेटों में कार्य-स्थलों के भीतर और आस-पास चाय बागान कामगारों और उनके परिवारों के लाभार्थ कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा, पेय जल, सफाई-व्यवस्था, कैंटीन, शिशु-सदन और मनोरंजन सुविधाओं के प्रावधान हैं। बागान श्रम अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है जिसके लिए उनके द्वारा अलग-से नियम बनाए गए हैं।

(ग): बीस या इससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले चाय बागान कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत व्याप्त हैं। असम में चाय बागान, असम चाय बागान भविष्य निधि योजना, 1955 के अंतर्गत व्याप्त हैं।

यदि व्याप्त प्रतिष्ठान यथा समय विवरणी दाखिल नहीं कराते हैं और भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है। कर्मचारियों के ईपीएफ के सदस्यों के रूप में गैर-नामांकन और नियोजक द्वारा अंशदानों की गैर-अदायगी के मामले में, अधिनियम में अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से धारा 7क के अंतर्गत चूक के निर्धारण तथा देयों के भुगतान में जानबूझकर विलम्ब के लिए धारा 14ख के अंतर्गत जुर्माने की उगाही का प्रावधान है। कर्मचारियों की मजदूरी से काटे गए कर्मचारियों के अंशदान भाग की गैर-अदायगी के मामले में चूककर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 (सितम्बर 2019 तक) के दौरान चूककर्ता चाय बागान प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की गई जिसके परिणामस्वरूप 6628/- लाख रुपये का निर्धारण और 3957/- लाख रुपये की वसूली की गई। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, चूककर्ता प्रतिष्ठानों से 2700/- लाख रुपये के बकाया देयों की भी वसूली की गई थी। इसी अवधि के दौरान चूक के 41 मामलों के लिए अभियोजन मामले दायर किए गए थे और मजदूरी से कटौती किए गए कर्मचारियों के अंशदान भाग की गैर-अदायगी के 15 मामलों में पुलिस शिकायतें दर्ज कराई गई थीं।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4656

सोमवार, 23 मार्च, 2020 / 3 चैत्र, 1942 (शक)

विभिन्न कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी

4656. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत शामिल विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों के कल्याण के लिए ईपीएफ योजना के तहत अभी तक सूचीबद्ध नहीं की गई कंपनियों को इसके तहत लाने के लिए क्या पहल की गई है; और

(ग) उन कंपनियों की सूची क्या है जो 20 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही हैं लेकिन आज की तिथि अनुसार ईपीएफ में योगदान नहीं कर रही हैं और सरकार द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों (कंपनियों सहित) के लिए जनवरी, 2020 के वेतन माह के लिए अंशदायी सदस्यों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

(ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा नियोक्ताओं के लिए अनुपालन की सुगमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर कई पहलें की जाती है ताकि, अधिक से अधिक प्रतिष्ठान (कंपनियों सहित) ईपीएफओ के अंतर्गत असानी से शामिल हो सकें और ईपीएफओ के सदस्यों और लाभार्थियों को प्रभावपूर्ण एवं त्वरित सेवा प्रदायगी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि

और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं का अनुपालन कर सकें। ईपीएफओ द्वारा कंपनियों को इस अधिनियम के अंतर्गत लाने के लिए की गई पहलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को सरल बनाया गया है तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है और पंजीकरण के समय कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

(ii) कंपनियों के मामले में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, 15.02.2020 से, श्रम सुविधा पोर्टल पर नई सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कंपनियों तथा एक व्यक्ति द्वारा संचालित कंपनियों का पंजीकरण बंद कर दिया गया है और ये कंपनियां ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकरण के लिए निगमन के समय ही स्पाइस+तथा एजीआईएलई-पीआरओ ई-फॉर्मों के माध्यम से कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट का प्रयोग कर सकती हैं।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र प्रतिष्ठान इस अधिनियम के अंतर्गत कवर हों और अपने सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में इसका अनुपालन करें, ईपीएफओ द्वारा इस अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार भी कार्रवाई की जाती है।

(ग): ईपीएफओ द्वारा कंपनियों की ऐसी कोई सूची नहीं रखी जाती है। तथापि, सभी पात्र प्रतिष्ठानों (कंपनियों सहित) और कामगारों का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कई कार्रवाइयां की जाती हैं जिनके उल्लेख ऊपर किया गया है। इसके अलावा, की गई कार्रवाइयों में जागरूकता अभियानों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन तथा निधि आपके निकट जैसे शिकायत निवारण मंचों का संचालन, एसएमएस/ई-मेल/पत्रों के माध्यम से आवधिक रूप से अनुस्मारक भेजे जाने भी शामिल हैं।

* *****

अनुबंध

'विभिन्न कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों' के संबंध में श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 23.03.2020 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4656 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अंशदान करने वाले सदस्य
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	14423
2	आंध्र प्रदेश	1029186
3	अरुणाचल प्रदेश	4765
4	असम	245126
5	बिहार	434926
6	चंडीगढ़	385672
7	छत्तीसगढ	419291
8	दिल्ली	2686004
9	गोवा	175671
10	गुजरात	3012316
11	हरियाणा	2296516
12	हिमाचल प्रदेश	302470
13	जम्मू और कश्मीर	95656
14	झारखंड	461202
15	कर्नाटक	5419893
16	केरल	1058088
17	लद्दाख	325
18	मध्य प्रदेश	1013338
19	महाराष्ट्र	9061645
20	मणिपुर	12777
21	मेघालय	31792
22	मिजोरम	3486
23	नागालैंड	6673
24	ओडिशा	677070
25	पंजाब	664087
26	राजस्थान	1091776
27	तमिलनाडु	4947527
28	तेलंगाना	2698207
29	त्रिपुरा	30014
30	उत्तर प्रदेश	2057434
31	उत्तराखंड	507963
32	पश्चिम बंगाल	2608415
कुल		**43453734**

*****